

राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट—एक परिदृश्य (प्रोजेक्ट की प्रगति एवं आगामी वर्षों के लिए कार्यक्रम)

प्रस्तावना :- राज्य सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता युक्त, सर्वसुलभ एवं जवाबदेह चिकित्सा व्यवस्था विश्व बैंक की सहायता से उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट परियोजना को राज्य के 32 जिलों में 472.58 करोड़ रुपये की लागत से पाँच वर्षों के लिये दिनांक 21 जुलाई 2004 से प्रारम्भ की गयी। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य अंश 75.72 करोड़ रुपये (16.02%) है। परियोजना के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर इसके कार्यकाल में विश्व बैंक द्वारा दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक अभिवृद्धि की गयी है।

उद्देश्य :- परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान स्थिति में गुणात्मक सुधार लाना तथा गरीब जनता, महिला एवं बच्चों को सर्व सुलभ एवं जवाबदेह चिकित्सा सहायता प्रदान करना है, जिससे सरकारी संस्थाओं के प्रति आम जनता में विश्वास वृद्धिगत हो। इस परियोजना के अन्तर्गत नीतिगत एवं संस्थागत सुधारों द्वारा द्वितीयक स्तर के चिकित्सा संस्थानों की गुणवत्ता में वृद्धि करना एवं चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना; साथ ही विशेषतः पिछड़े वर्गों में जैसे बी.पी.एल., जनजाति; क्षेत्र तथा महिलाएं एवं बच्चे आदि की पहुँच में वृद्धि करना है। परियोजना के अन्तर्गत 28 जिला अस्पतालों, 23 उप जिला अस्पतालों, 113 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (उप जिला स्तर), 72 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रत्येक ब्लाक में एक) और 2 ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों अर्थात् राज्यों के (कुल 238) ब्लाक में स्थित स्वास्थ्य संस्थाओं को विभिन्न प्रक्रियाओं से सुदृढीकरण कर ब्लाक स्तर पर 24 घन्टे आपातकालीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाना है।

कार्ययोजना :- परियोजना के अन्तर्गत चयनित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा भवनों का निर्माण एवं नवीकरण का कार्य, चिकित्सा उपकरण, दवाईयों, हॉस्पिटल सामग्री एवं हॉस्पिटल फर्नीचर उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। चिकित्सकों एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को नवीनतम तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर संस्थानों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है। जैविक कचरा निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था कर गुणवत्ता में सुधार करना भी परियोजना का प्रमुख कार्य है।

प्रगति :-

निर्माण कार्य :- परियोजना काल में कुल 239 सिविल कार्यों (238 चिकित्सा संस्थान एवम परियोजना कार्यालय, जयपुर) के निर्माण/रिनोवेशन कार्यों का लक्ष्य था। जिन पर 175.00 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था। माह सितम्बर 2009 तक 224 निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा

9 निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्यो पर माह सितम्बर 2009 तक 167.12 करोड रूपये की लागत के कार्य किये जा चुके है।

प्रोक्योरमेन्ट (ई.पी.एम.सी.) :- परियोजना के अन्तर्गत चयनित 238 चिकित्सा संस्थानों में आवश्यकतानुसार आधुनिकतम उपकरण, अस्पताल फर्नीचर के अलावा दवाईयों एवं अस्पताल सप्लाई, इत्यादि प्रतिवर्ष उपलब्ध करवायी जा रही है। परियोजना अवधि में कुल 138.00 करोड रूपये प्रोक्योरमेंट के लिये निर्धारित किये गये थे, जिन पर 74.16 करोड रूपये का व्यय हो चुका है। परियोजना के अन्तर्गत जनवरी, 2009 से अब तक 88 फोटोथेरेपी यूनिट, 26 डेन्टल चेयर यूनिट, 65 सेन्ट्रीफ्यूगल मशीन, 12 ओपरेशन टेबल (हाइड्रोलिक), 9 आटोक्लेव एच.पी. होरिजोन्टल, 63 फीटल मोनिटर, 77 फ्रेक्चर टेबिल, 7 आटोक्लेव एच.पी. होरीजेन्टल, 105 आटोक्लेव एच.पी. वर्टीकल, 10 सेमी ऑटो एनालाईजर, 8 यूनिवर्सल बोन ड्रिल, 13 एक्सरे मशीन 500 एम.ए., 36 एक्सरे मशीन 300 एम.ए., 21 एक्सरे मशीन 100 एम.ए., 343 एयर कन्डीशनर आदि उपकरण 4.66 करोड रूपयें की लागत के उपलब्ध करवाये गये है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत 8 एक्सरे मशीन (500 एम.ए.), 26 एक्सरे मशीन (300 एम.ए.), 13 एक्सरे मशीन (100 एम.ए.), 36 ओटोमेटिक सेलकाउन्टर, 101 बायल्स एपरेट्स व 105 बायोफेजिक डिफ्रीबीलेटरस उपकरण 5.47 करोड रूपये की लागत के उपलब्ध करवाये जा रहे है।

परियोजना के प्रथम वर्ष 2004-05 से माह सितम्बर, 2009 तक 300.15 करोड रूपये व्यय हुये है।

परियोजना में नवीन पहल :

अस्पताल प्रशासक (Hospital Administrator):- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2008-09 की बजट घोषणाओं के सन्दर्भ में राज्य के सभी 33 जिला चिकित्सालयों के लिए अनुबन्ध के आधार पर कार्य सम्पादन हेतु अस्पताल प्रशासकों को रखा गया है। अस्पताल प्रशासकों का मुख्य कार्य जिला अस्पतालों में प्रशासन का प्रभावी सहयोग करना एवं अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से क्रियान्वित करवाना है।

पेशेन्ट काउन्सलर (रोगी सलाहकार) :- परियोजना के अन्तर्गत राज्य में चयनित स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला अस्पतालों (50 या 100 तथा इससे अधिक) में लगभग 120 पेशेन्ट काउन्सलर की अनुबन्ध पर नियुक्ती की गई है। इस योजना का उद्देश्य कम पढे लिखे रोगियों एवं अन्य निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को सरलता से सेवाएँ प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन करना है। जिससे सभी वर्ग के रोगी उचित गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें।

पेशेंट काउन्सलर के मुख्य कार्य अस्पताल में आने वाले रोगियों व उनके परिजनों को उपलब्ध सेवाओं, बी.पी.एल. एवं गंभीर रोग से ग्रसित रोगियों के लिए संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देना और साथ में डॉक्टरों द्वारा लिखी गई पर्ची और जाँचों के बारे में समझाना, अस्पताल में ही उपलब्ध सेवाओं के लिए कहीं सम्पर्क करें यह जानकारी देना है। परियोजना की समय अवधि में पेशेंट काउन्सलर की "मुख्यमंत्री मंत्री बी.पी.एल. जीवनरक्षा कोष" के परिपेक्ष्य में तथा परियोजना के अन्य गतिविधियों में भागीदारी रहेगी।

प्रशिक्षण : चिकित्सा अधिकारियों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की क्षमता एवं दक्षता विकास, साथ ही व्यवहारिक गुणवत्ता विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे है। राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों एवं अन्य चयनित एजेन्सियों के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाये जा रहे है जैसे :- प्रबन्धकीय कौशल, गुणवत्ता सुधार, क्लिनिकल, रेफरल सिस्टम, उपकरण रखरखाव, रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, जैविक अपशिष्ट प्रबन्धन, नवजात शिशु की देखभाल, दुर्घटना में चोटग्रस्त की चिकित्सा एवं आई.सी.यू. आदि। विश्व बैंक द्वारा अभी तक कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 29913 प्रशिक्षणार्थियों को प्रोजेक्ट द्वारा प्रशिक्षित करने की अनुमति दी गयी है, तथा सितम्बर, 2009 तक 26042 डॉक्टरों तथा सेवा कर्मियों को प्रशिक्षण के द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है।

तकनीकी, प्रबन्धन और सहायक सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि:-

स्वास्थ्य तंत्र एक अतिआवश्यक एवं जटिल तंत्र है। समस्त समुदाय व समाज को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवायें प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे जैसे तंत्र का विकास होता है, गुणवत्ता प्रदान करने में समस्याएँ भी आती है जो किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा हल नहीं की जा सकती। इसके लिए संगठित, सुनियोजित सक्रिय दल की आवश्यकता है, जो कि चिकित्सालय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण सेवायें देने में लगातार प्रयासरत रहे।

चिकित्सालय तंत्र सुधार दल (एच.एस.आई.टी.), स्वास्थ्य तंत्र सुधार समिति (एच.एस.आई.सी.), राज्य स्तरीय स्वास्थ्य तंत्र संसाधन दल (एच.एस.आर.टी.) :-

अपने चिकित्सालय में हर माह एच.एस.आई.टी. की बैठक करना, सभी सदस्यों के सहयोग से कार्यकुशलता का आंकलन संस्था की समस्याओं की पहचान, समस्याओं का समाधान एवं समाधानों का क्रियान्वयन करना, स्वास्थ्य तंत्र में निरन्तर सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है जिनको अपनाते हुए प्रोजेक्ट द्वारा पोषित प्रत्येक अस्पताल में एच.एस.आई.टी. कार्य करेगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में हर माह एच.एस.आई.सी. बैठक में चिकित्सा संस्थानों पर एच.एस.आई.टी. की मोनीटरिंग करना एवं उनके द्वारा भेजी गई समस्याओं का यथा संभव समाधान करना मुख्य उद्देश्य है। इस प्रक्रिया में जिला परियोजना समन्वयक (डी.पी.सी.) की सदस्य सचिव के रूप में महती जिम्मेदारी है।

एच.एस.आर.टी. निदेशक अस्पताल प्रशासन DMHS, HQ-Jaipur की अध्यक्षता में गठित दल है। एच.एस.आई.सी. द्वारा भेजी गई संसाधनों की आपूर्ति तय राज्य स्तर की समस्याओं का समाधान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है।

परियोजना की बचत राशि के उपयोग के लिये क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियाँ :-

परियोजना की बचत राशि 155.92 करोड रूपये के उपयोग हेतु परियोजना की बढ़ी हुयी अवधि सितम्बर, 2011 तक निम्नलिखित नये कार्य सम्पादित करवाये जाएंगे:

- (1) Developing Equipment Management and Maintenance System
- (2) Restructing the Drugs Logistics System..
- (3) Strengthening Health Management Information System using web enabled interactive IT Systems.
- (4) Initiating Accreditation process for two district hospitals.(NABH accreditation)
- (5) Human Resource Effectiveness skill development Programmers for capacity building.
- (6) Strengthening of SIHFW and State Resource centre.
- (7) Continuous Improvement quality of services and Strengthening of District Hospitals.
- (8) Strengthening of Health Institutions by need based procurement
- (9) Creation of an Equipment Maintenance Revolving Fund

बजट घोषणाए:-

विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणाओं में इस परियोजना से संबंधित घोषणा संख्या 55 की स्थिति निम्नानुसार है:

- (अ) सिविल कार्य— आर.एच.एस.डी.पी. के अन्तर्गत 6 आई.सी.यू., 24 बर्न यूनिट, 18 पुर्नवास केन्द्र एवं 14 ट्रोमा यूनिट के निर्माण का कार्य वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रस्तावित है। उक्त कार्य के नक्शे एवं एस्टीमेट तैयार करवाने के प्रस्ताव विश्व बैंक से अनुमोद उपरान्त प्राप्त हो गये है। कन्सलटेन्ट की नियुक्ति का कार्य प्रगति पर है। कन्सलटेन्ट नियुक्ति उपरान्त नक्शे एवं एस्टीमेट का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(ब) प्रोक्योरमेंट— परियोजना से सम्बन्धित घोषणा में 6 आई.सी.यू. यूनिट हेतु 7.02 करोड, 24 बर्न यूनिट हेतु 2.25 करोड, 18 पुर्नवास केन्द्रों हेतु 0.62 करोड तथा 14 ट्रोमा यूनिट हेतु 13.54 करोड रूपये की राशि प्रस्तावित हैं। इस प्रकार प्रोक्योरमेंट हेतु 23.43 करोड रूपये लागत के प्रस्ताव विश्व बैंक के अनुमोदन हेतु भिजवा दिये गये हैं। विश्व बैंक से अनापत्ति प्राप्त होते ही आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति की कार्यवाही की जायेगी।